भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2252

दिनांक 31 जुलाई, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची

+2252. श्री कोडिकुन्नील सुरेश:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची (एनएलईएम) के पुनरीक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है, यदि हाँ, तो उसकी वर्तमान स्थिति तथा संशोधित सूची के प्रकाशन के लिए निर्धारित समय-सीमा क्या है;

(ख) संशोधित आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची में औषधियों को शामिल या बाहर करने के लिए औषधियों पर स्थायी राष्ट्रीय समिति (एसएनसीएम) द्वारा अपनाए गए वैज्ञानिक मानदंड तथा दिशा-निर्देश क्या हैं;

(ग) क्या इस संबंध में राज्य सरकारों, चिकित्सा विशेषज्ञों तथा अन्य हितधारकों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) वर्तमान में देश में विनिर्माण, बिक्री अथवा वितरण के लिए प्रतिबंधित, निषिद्ध अथवा वापस ली गई औषधियों, निश्चित खुराक संयोजनों (फिक्स्ड-डोज कॉम्बिनेशन्स) तथा औषधीय उत्पादों का ब्यौरा क्या है और उनके जेनेरिक नाम, चिकित्सीय उपयोग तथा प्रतिबंध के कारण क्या हैं;

(ङ.) क्या सरकार ऐसी प्रतिबंधित औषधियों के ब्रांड के नामों तथा उनके निर्माताओं की सूची रखती है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा प्रतिबंध संबंधी आदेशों के उल्लंघन के लिए निर्माताओं, आयातकों तथा बितरकों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची का समयबद्ध पुनरीक्षण सुनिश्चित करने तथा देश में प्रतिबंधित औषधियों के विनिर्माण, वितरण एवं बिक्री को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग): आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची (एनएलईएम) देश में रोग-भार, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकताओं, सुरक्षा, प्रभावकारिता, लागत-प्रभावशीलता, आम लोगों के स्वास्थ्य और स्वच्छता में चिकित्सकीय उत्पादों के उपयोग संबंधी समकालीन ज्ञान, दवाओं से संबंधित विभिन्न दस्तावेज तथा विश्व

स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू एच ओ) की मॉडल सूची सहित दवाओं की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, एक स्थापित विशेषज्ञ परामर्शदात्री तंत्र के माध्यम से तैयार एवं संशोधित की जाती है।

एनएलईएम का पुनरीक्षण, जिसमें दवाओं का समावेशन, विलोपन अथवा संशोधन शामिल है, समय-समय पर सरकार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति, यथा दवाओं पर राष्ट्रीय स्थायी समिति (एसएनसीएम) की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है।

ऐसे पुनरीक्षण के दौरान सभी चिकित्सकीय श्रेणियों की दवाओं पर निर्धारित मानदंडों और उपलब्ध वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर विचार किया जाता है। इनमें दवाओं के अनुमोदन स्थिति, देश में प्रतिबंधित दवाओं की स्थिति, दवाओं और निश्चित खुराक संयोजनों (एफडीसी) की सुरक्षा एवं प्रभावकारिता संबंधी प्रोफाइल प्रतिजैविकों के विरुद्ध प्रतिरोध के पैटर्न, रोग-भार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सूचीबद्ध दवाएं, वहनीयता, उपलब्धता, लागत-प्रभावशीलता, बेहतर विकल्प, चिकित्सकीय प्रगति, सुरक्षा संबंधी चिंताएँ तथा विभिन्न हितधारकों से प्राप्त अभ्यावेदन शामिल हैं, जिन पर संबंधित विशेषज्ञ समूह की बैठकों में चर्चा की जाती है।

(घ) से (च): ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत, ऐसे प्रावधान है जिनके अनुसार केंद्र सरकार जनहित में किसी भी दवा जिसमें एफडीसी भी शामिल हैं, के निर्माण को विनियमित, प्रतिबंधित या निषिद्ध कर सकती है, यदि इन दवाओं के उपयोग से मनुष्यों या पशुओं को कोई खतरा हो सकता है या एफडीसी में निहित अवयवों का कोई चिकित्सकीय औचित्य नहीं है। प्रतिबंधित दवाओं की सूची, जिनमें एफडीसी भी शामिल हैं, सीडीएससीओ की वेबसाइट अर्थात् www.cdsco.gov.in पर उपलब्ध है।

प्रतिबंधित/निषिद्ध दवाओं के उत्पादन, बिक्री एवं वितरण ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 18 के तहत दंडनीय अपराध है और राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण इस संबंध में कार्रवाई करने के लिए अधिकारप्राप्त है। जब भी इस तरह की कोई शिकायत/मामला प्राप्त होता है तो मामले को आवश्यक कार्रवाई हेतु, जिसमें उत्पादन लाईसेंस को रद्द करना शामिल है, संबंधित राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण के समक्ष उठाया जाता है।
